

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O. A. No. 971 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Prajwal Chand

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

...Respondents

NDOH : 18.12.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response Affidavit on behalf of the respondent no. 3 Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance to the order dated 19.11.2024 passed by the this Hon'ble Tribunal	1-3
2.	ANNEXURE R3/1 A true copy of the closure order dated 13.12.2024	4-5

Respondent No. 3

Through



Amit Shukla

Advocate for the Respondent No. 3

For LEXWEB

Advocates & Legal Advisors

Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amitshukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 16.12.2024

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 971/2024**



IN THE MATTER OF:

PrajwalChand

...Applicant(s)


Versus

State of UP

...Respondent(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.3, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE
TO THE ORDER DATED 19.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE**

TRIBUNAL



Ajeet Kumar Suman aged 50 year S/o Late Baliram Vimal presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB), Gorakhpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:


1. That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned matter and well

AK
Suman

conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That in compliance to the order dated 26.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the constituted joint committee report dated 05.11.2024 has been filed by the District Magistrate, Gorakhpur on 06.11.2024.
3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 19.11.2024 relying upon the finding of Joint Committee has impleaded UPPCB as respondent and passed the following directions:

"...9. Notice on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Committee has been accepted by Shri Amit Shukla, Advocate and Ms. Priyanak Swami Advocate has accepted notice on behalf of State of UP and District Magistrate, Gorakhpur. Hence, notices to remaining respondents shall be issued by registry as per rules.



10. Respondents may file their response within three weeks.

11. Learned Counsel appearing for UPPCB stated that presently CBWTF i.e. M/s Integrated Pollution Committee is not operating.

12. In the light of the facts disclosed in Joint Committee report, prima facie we are satisfied that without consent and EC, said CBWTF cannot be allowed to operate, hence, UPPCB

AK
unman

and District Magistrate, Gorakhpur shall ensure that above CBWTC shall not be allowed to operate until further order of this Tribunal...”

- 4. That the UPPCB vide its letter dated 02.07.2024 has issued a show cause notice to the Project Proponent under Section-33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended. In light of the Joint Committee Report and the observations made, the show cause notice dated 02.07.2024 was confirmed and a Closure Order dated 13.12.2024 was issued. A true copy of the closure order dated 13.12.2024 is annexed herewith and marked as **AnnexureR3/1**.

AK
uman
DEPONENT

VERIFICATION


Verified at Lucknow on this 16th day of December, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.



AK
uman
DEPONENT

Sworn and Verified before me.
[Signature]
NOORIAHAMED
CIVIL COURT
LUCKNOW, U.P.

I know & identify the deponent / Executed who has signed / put his T.I. before me
[Signature]
Touqeer Advocate
Reg. No. 6043/1-99
AK
Uro



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 12/38 / सी-6 / सहमति जल-148 / बन्दी आदेश / गोरखपुर / 2024 दिनांक.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई०पी०सी०),
ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली,
परगना-भौवापार, तहसील-सदर,
गोरखपुर। मोबाइल- 8795886699

यह कि मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई०पी०सी०), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर, जिसे आगे सीबीडब्लूटीएफ कहा जायेगा, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है।

यह कि सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई०पी०सी०), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर को बोर्ड के पत्र संख्या-एच 13410/वृत्त-6/सहमति जल-148/काबनो/गोरखपुर/2024, दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में सीबीडब्लूटीएफ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से उत्तर प्रेषित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

- 1. (2) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से गठित समिति द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इकाई 3-4 माह से नहीं चलती है यह कहना गलत है संयंत्र के सभी रिकार्ड से साफ-साफ अवगत होता है कि संयंत्र प्रतिदिन 15 से 30 मिनट के लिये ही संचालित किया जाता है। संस्था के संयंत्र परिसर में बायों मेडिकल वेस्ट बहुत ही कम मात्रा में आता है, जिसका निस्तारण प्रातः कुछ ही समय में कर दिया जाता है तथा ईटीपी का संचालन केवल 30 मिनट किया जाता है।
2. (4) संस्था के संयंत्र परिसर में कुछ ही संस्थाओं का बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण हेतु आता है जिसे संस्था द्वारा समय से निस्तारित कर दिया जाता है। उसके उपरान्त संयंत्र का संचालन बन्द कर दिया जाता है इसलिये निरीक्षण अधिकारियों को संयंत्र परिसर में स्थापित मशीनरी व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था इत्यादि बन्द पायी गयी थी....."

यह कि उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि सीबीडब्लूटीएफ द्वारा राज्य बोर्ड से बिना वैध सहमति प्राप्त किये ही सीबीडब्लूटीएफ का संचालन किया जा रहा है, जो जल/वायु अधिनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन है। अतः आपके पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से प्रेषित उत्तर बलहीन एवं असंतोषजनक है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-971/2024 प्रज्जवल चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.09.2024 के अनुपालन में गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा प्रश्नगत सीबीडब्लूटीएफ का निरीक्षण दिनांक 28.10.2024 को किया गया, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

".....3. **Environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006.**

- r) The facility was granted CTE on 10.07.2013 and Environmental Clearance (EC) requirement for the Bio-Medical Waste Treatment Facility was included in EIA notification S.O.1142(E). -Dated 17.04.2015. Hence, EC is not obtained by the facility. Copy of EIA notification dated 17.04.2015 is annexed as **Annexure-11.**

4. Conclusion and Recommendation:

It is evident from above observations; the facility has not valid CCA. UPPCB is rejecting CCA applications of the facility due to non-compliance of environmental norms, provision of the Bio-medical waste Management Rules,2016 & CPCB guidelines. The ownership of the facility is also seems disputed. UPPCB may take necessary action on show cause notice against the facility as per law....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Email sent
13/12/24

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-971/2024 प्रज्जवल चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

“.....12. In the light of the facts disclosed in Joint Committee report, prima- facie we are satisfied that without consent and EC, said CBWTF cannot be allowed to operate, hence, UPPCB and District Magistrate, Gorakhpur shall ensure that above CBWTC shall not be allowed to operate until further order of this Tribunal.”

यह कि उपरोक्त वर्णित अन्तर्विभागीय समिति की आख्या के दृष्टिगत एवं माननीय एनजीटी, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सीबीडब्लूटीएफ के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जन स्वास्थ्य एवं जनहित में सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2024 की पुष्टि करते हुए निम्नरूपेण बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर को मिलने वाली विद्युत तथा जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी, (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गोरखपुर।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सीबीडब्लूटीएफ को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 कार्यदिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी, (वृत्त-6)